भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 138
जिसका उत्तर 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया
बैंक एटीएम में डकैती

138. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों, विशेषकर महाराष्ट्र में बैंक एटीएम में डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न बैंकों से एटीएम के द्वारा धोखे से पैसे निकालने से संबंधित मामलों की संख्या का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ऐसी धोखाधड़ी को रोकने और इसे होने से पहले ही रोकने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बैंक एटीएम में सुरक्षा को मजबूत करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, विगत दो वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष की 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तक के लिए एटीएम लूट, डकैती, सेंधमारी और चोरी की घटनाओं से संबंधित आंकड़े **अनुबंध-1** में दिए गए हैं। उपर्युक्त आंकड़े 01 अप्रैल, 2017 से उपलब्ध हैं।

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, विगत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष की 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तक के लिए सूचना देने की तिथि के आधार पर कार्ड/इंटरनेट-एटीएम/डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ियों (1 लाख रुपए या उससे अधिक की अंतर्ग्रस्त राशि) के राज्य-वार और बैंक-वार आंकड़ें क्रमशः **अनुबंध-2** और **अनुबंध-3** में दिए गए हैं।

(घ) और (ड.): इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.07.2015 के 'धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' पर आरबीआई के मास्टर परिपत्र के माध्यम से संबंधित बैंकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे धोखाधड़ी के मामलों की जांच करें और उसकी सूचना कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को दें, स्टाफ की जवाबदेही की जांच करें, चूककर्ता स्टाफ के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही पूरी करें, धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त राशि वसूल करने के लिए कदम उठाएं, जहां भी लागू हो वहां बीमा का दावा करें और प्रणाली के साथ-साथ प्रक्रियाओं को भी युक्तिसंगत बनाएं ताकि धोखाधड़ी दुबारा न हो।
'ग्राहक सुरक्षा - अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों के दायित्व को सीमित करना' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 06.07.2017 के परिपत्र के अनुसार, बैंक की ओर से सहभागी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी के कारण तथा अन्य पक्ष के द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होने वाले अप्राधिकृत लेनदेन के मामले में, अप्राधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के भीतर ग्राहक के द्वारा बैंक को इसकी सूचना देने पर इस संबंध में ग्राहक की कोई देयता नहीं होती है।
आरबीआई ने 'एटीएम के नियंत्रण उपायों - अनुपालन की समय-सीमा' के संबंध में दिनांक 21.06.2018 के अपने परिपत्र में बैंकों को सॉफ्टवेयर को निर्धारित समयावधि में अपग्रेड करने तथा अनुपालन की गहन निगरानी करने सहित एटीएम के नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई आरंभ करने की सलाह दी है।
इसके अलावा, आरबीआई ने "कार्ड प्रजेंट तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संबंधी लेन-देन - ईएमवी चिप तथा पिन कार्ड जारी करना के संबंध में सुरक्षा तथा जोखिम उपशमन उपायों" पर दिनांक 27.8.2015 के अपने परिपत्र के माध्यम से बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि वे 31 दिसम्बर, 2018 तक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जारी सभी सक्रिय कार्ड ईएमवी चिप तथा पिन आधारित हों।
जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिनांक 06.07.2017 के आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, बैंकों को अप्राधिकृत लेनदेन और/या भुगतान लिखत, जैसे कार्ड आदि के गुम हो जाने अथवा चोरी हो जाने की सूचना देने की सुविधा विविध चैनलों (वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस, ई-मेल, आईवीआर, समर्पित टोल फ्री हैल्पलाइन, अपनी शाखा में सूचना देने आदि की अनिवार्य सुविधा सहित) के जरिए सातों दिन चौबिसों घंटे (24X7) उपलब्ध कराने की बैंकों को सलाह दी है।

*****

			अनुबंध-1
विगत दो वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष की 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तक के लिए एटीएम में हुई लूट, डकैती, सेंधमारी और चोरी की घटनाओं से संबंधित आंकड़े			
राज्य	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
	घटनाओं की सं.	**घटनाओं की सं.**	**घटनाओं की सं.**
आंध्र प्रदेश	2	8	5
अरुणाचल प्रदेश	0	2	0
असम	1	2	7
बिहार	15	23	7
चंडीगढ़	0	2	0
छत्तीसगढ़	2	6	9
गोवा	4	3	2
गुजरात	21	28	18
हरियाणा	29	51	28
हिमाचल प्रदेश	2	4	1
जम्मू और कश्मीर	18	7	2
झारखंड	4	5	1
कर्नाटक	14	16	8
केरल	4	8	4
मध्य प्रदेश	16	41	21
महाराष्ट्र	27	67	34
मिजोरम	1	0	0
रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	26	39	25
ओडिशा	15	20	5
पुदुचेरी	1	1	0
पंजाब	26	28	17
राजस्थान	10	65	19
तमिलनाडु	8	10	3
तेलंगाना	14	22	7
उत्तर प्रदेश	21	36	9
उत्तराखंड	5	3	0
पश्चिम बंगाल	17	18	6
कुल योग	**303**	**515**	**238**
टिप्पणी - उपर्युक्त आंकड़े केवल वर्ष 2017-18 से उपलब्ध हैं।			

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध-2

विगत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष की 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तक के लिए सूचना देने की तिथि के आधार पर कार्ड/इंटरनेट-एटीएम/डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ियों (1 लाख रुपए या उससे अधिक की अंतर्ग्रस्त राशि) के राज्य-वार आंकड़ें

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	धोखाधड़ियों की सं.	**धोखाधड़ियों की सं.**	**धोखाधड़ियों की सं.**	**धोखाधड़ियों की सं.**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	4	1
आंध्र प्रदेश	20	3	6	10
अरुणाचल प्रदेश	-	2	-	1
असम	2	68	20	37
बिहार	4	5	15	15
चंडीगढ़	6	3	7	4
छतीसगढ़	1	2	4	6
गोवा	-	2	9	2
गुजरात	13	16	25	10
हरियाणा	54	45	58	22
हिमाचल प्रदेश	1	2	1	5
जम्मू और कश्मीर	-	6	1	-
झारखंड	9	2	13	6
कर्नाटक	94	80	65	67
केरल	8	10	15	21
मध्य प्रदेश	2	10	10	11
महाराष्ट्र	223	242	233	101
मणिपुर	-	-	2	-
मेघालय	-	1	2	3
मिजोरम	-	-	-	2
नागालैंड	-	2	1	1
रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	115	132	179	84
ओडिशा	1	4	13	19
पुदुचेरी	2	1	1	1
पंजाब	2	23	17	10
राजस्थान	8	12	20	18
तमिलनाडु	102	131	147	50
तेलंगाना	-	31	21	10
त्रिपुरा	-	1	-	1
उत्तर प्रदेश	31	37	54	38
उत्तराखंड	5	10	11	3
पश्चिम बंगाल	15	20	21	27
विदेशी	6	8	5	-
कुल योग	**724**	**911**	**980**	**586**

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध-3

विगत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष की 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तक के लिए सूचना देने की तिथि के आधार पर कार्ड/इंटरनेट-एटीएम/डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ियों (1 लाख रुपए या उससे अधिक की अंतर्ग्रस्त राशि) के बैंक-वार आंकड़ें

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बैंक का नाम	**धोखाधड़ियों की सं.**	**धोखाधड़ियों की सं.**	**धोखाधड़ियों की सं.**	**धोखाधड़ियों की सं.**
इलाहाबाद बैंक	-	-	1	-
आंध्रा बैंक	1	-	-	-
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	-	3	-
एक्सिस बैंक लिमिटेड	31	53	63	28
बंधन बैंक लिमिटेड	-	-	2	3
बैंक ऑफ बड़ौदा	3	3	2	-
बैंक ऑफ इंडिया	-	2	3	1
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1	-	-	1
भारतीय महिला बैंक लिमिटेड	1	-	-	-
केनरा बैंक	1	3	8	8
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1	4	29	6
सिटी बैंक एन.ए.	40	51	59	35
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	-	1	-	3
कॉर्पोरेशन बैंक	18	1	8	4
डीसीबी बैंक लिमिटेड	-	1	4	5
देना बैंक	1	2	-	-
ड्यूश बैंक ए.जी.	-	5	6	2
एसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	-	2	-
फेडरल बैंक लिमिटेड	2	9	4	14
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	-	6	-
फर्स्ट्रैंड बैंक लिमिटेड	1	-	-	-
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड।	52	94	116	37
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पो. लि.	22	21	51	19
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	215	348	107	65
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	30	23	49	32
आईडीएफसी बैंक लि.	-	1	2	2
इंडियन बैंक	24	4	11	8
इंडसइंड बैंक लि	-	11	34	18
कर्नाटक बैंक लि	-	2	2	-
केब हाना बैंक	1	-	-	-
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	44	71	133	57
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	1	2	1	-
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-	2	2
पंजाब नैशनल बैंक	1	2	2	-
आरबीएल बैंक लिमिटेड	1	6	5	5
साउथ इंडियन बैंक लि	1	1	7	8
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	219	37	28	33
भारतीय स्टेट बैंक	6	144	206	183
सिंडीकेट बैंक	-	-	3	-
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	-	1	2	1
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी	1	-	-	-
यूको बैंक	2	-	4	-
उज्जीवन एस एफ बैंक लिमिटेड	-	-	-	1
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3	3	7	2
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	3	1	1
उत्कर्ष एस एफ बैंक लिमिटेड	-	-	1	-
विजया बैंक	-	1	1	-
येस बैंक लि.	-	1	5	2
कुल योग	**724**	**911**	**980**	**586**

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक